न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट वजीरपुर
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी— सुधारानी मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
02 / 2025	20.02.2025	9/5/26

1. बालकृष्ण दत्तक पुत्र रामजीलाल, ब्राह्मण निवासी पीलौदा तह0 वजीरपुर
2. कटोरी बेबा कैली, ब्राह्मण निवासी पीलौदा तह0 वजीरपुर ——प्रार्थीगण

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील वजीरपुर ——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित :— श्री सतीश चंद शर्मा, एडवोकट, प्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि ख0न0 3679 रकबा 0.05 है0, ख0न0 3680 रकबा 0.03 है0, ख0न0 3681 रकबा 0.04 है0, ख0न0 3682 रकबा 0.05 है0 ग्राम पीलौदा मे स्थित है। जिसमे प्रार्थीगण का 1/2 — 1/2 हिस्सा है। प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि मे प्रार्थीगण की डौल मेड बनी हुई है। जिसे पडौसी खातेदारान आये दिन नष्ट कर प्रार्थीगण की भूमि पर अतिक्रमण करने पर ऊतारू हो रहे है। प्रार्थीगण व पडौसी खातेदारों के मध्य आये दिन सीमाचिन्हो को लेकर विवाद होते रहते है। प्रार्थीगण ने दिनांक 27.5.2024 को उपरोक्त भूमि का सीमाज्ञान करवा लिया है परन्तु पडौसी खातेदारो ने प्रार्थीगण की भूमि पर जबरन कब्जा करने की नियत से दिनांक 6.2.2025 को सीमाचिन्हो को नष्ट कर दिया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की भूमि ख0न0 3679 रकबा 0.05 है0, ख0न0 3680 रकबा 0.03 है0, ख0न0 3681 रकबा 0.04 है0, ख0न0 3682 रकबा 0.05 है0 ग्राम पीलौदा की पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया एवं तहसीलदार वजीरपुर से रिपोर्ट चाही गई।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने नकल जमाबंदी संवत 2074—77 खाता संख्या 384, ग्राम पीलौदा, नकल नक्शा ट्रेस, फोटोकॉपी फर्दमौका सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 27.5.2024 प्रस्तुत किये है।

प्रकरण मे तहसीलदार वजीरपुर की रिपोर्ट उनके पत्रांक भूअ/2025/884 दिनांक 29.9.2025 द्वारा प्राप्त हुई है। इस रिपोर्ट के साथ पटवारी हल्का की रिपोर्ट भी मूल ही प्राप्त हुई है।

प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण के अभिभाषक की बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली में तहसीलदार वजीरपुर की प्राप्त रिपोर्ट एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण जिस भूमि पर पत्थगढी करवाना चाहता है उस भूमि पर उसका कब्जा नही होने के कारण कब्जा संबंधी विवाद के चलते प्रार्थीगण के द्वारा न्यायालय हाजा में उक्त विवादित भूमि के संबंधित बेदखली का वाद मुकदमा नम्बर 159/2020 उनवान बालकृष्ण बनाम रामखिलाडी वगै0 दायर किया है जो वर्तमान मे विचाराधीन है। जिस कारण दौराने दावा पत्थगढी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित नही है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर. एक्ट स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारीज किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21/8/26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप जिला कलेक्टर वजीरपुर, जिला सवाई

(सुधारानी मीना)
उप जिला कलक्टर
वजीरपुर